न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78/2015

अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. भंवर कंवर पत्नि भोपाल सिंह राजपूत निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भंवर सिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी करण जी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. चावण्ड सिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी करण जी की खेड़ी तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
4. गुलाब सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी करण जी खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु पित हजारी बैरवा निवासी करण जी की खेड़ी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मु0 लेहरी पत्नि रामा बैरवा निवासी करण जी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

दिनांक ....

<u>निर्णय</u>

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम करण जी खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की अराजी संख्या 801 रकबा 0.01 हे0, 803 रकबा 0.46 हे0, 804 रकबा 0.58 हे0, 813 रकबा 0.03 हे0, 814 रकबा 1.00 हे0, 814/908 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.11 हे0 भूमियां खाता संख्या 95 पर स्थित है।

यह कि उक्त आराजियात में प्रार्थी संख्या एक का 1/2 हिस्सा, प्रार्थी संख्या दो व तीन का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या चार का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण अपने–अपने पारिवारिक मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्तलाभ लेते आ रहे है एवं इसी अनुसार आराजी संख्या 801 व 803 में भी पारिवारिक मौखिक बंटवारे के आधार पर हम सभी खातेदारान् का कब्जा है। आराजी संख्या 801 व 803 की उतरी दिशा में आम रास्ते की तरफ प्रार्थीया संख्या एक भंवर कंवर का हिस्सा पारिवारिक मौखिक विभाजन में हिस्से में आया है एवं इस हिस्से पर प्रार्थीया संख्या एक काबिज होकर काश्त लाभ ले रही है।

यह कि उक्त वर्णित समस्त आराजियात अविभाजित हिन्दु परिवार की सम्पत्तियां है एवं हम प्रार्थीगण यका अलग–अलग हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार हम प्रार्थीगण अलग–अलग काबिज है किन्तु विपक्षी संख्या एक , दो व तीन आराजी संख्या 801 व 803 की उतरी दिशा में तीन बिस्वा भूमि पर अवैघ कब्जा जमाने की नियत से नीवें खोदना प्रारम्भ कर दिया है एवं अपना स्थायी अवैघ निर्माण करने पर आमादा हो रहे है जिसको रोका जाना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थीगण की आराजी पर विपक्षीगण द्वारा अतिक्रमित की गई तीन बिस्वा भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टियां मामला प्रमाणित है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 801 व 803 के तीन बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने को आमादा होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजी संख्या 801 व 803 भूमि पर विपक्षीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे व अतिक्रमण को रोका जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2015 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 03 अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित। वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी नं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर जवाब में प्रार्थना की कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबुनियाद तथ्यो एवं झुठे तथ्यों पर एवं हम विपक्षीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से प्रस्तुत करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र धारा 35 जा0दी0 के तहत विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। और विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब को ही बहस हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम करण जी खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की अराजी संख्या 801 रकबा 0.01 हे0, 803 रकबा 0.46 हे0, 804 रकबा 0.58 हे0, 813 रकबा 0.03 हे0, 814 रकबा 1.00 हे0, 814/908 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.11 हे0 भूमियां खाता संख्या 95 पर स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या एक का 1/2 हिस्सा, प्रार्थी संख्या दो व तीन का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या चार का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजी संख्या 801 व 803 भूमि पर विपक्षीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे व अतिक्रमण को रोका जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...गापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 78/2015
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण क्रमांक 1 में अर्थात् ग्राम करण जी खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की अराजी संख्या 801 रकबा 0.01 हे0, 803 रकबा 0.46 हे0, 804 रकबा 0.58 हे0, 813 रकबा 0.03 हे0, 814 रकबा 1.00 हे0, 814/908 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.11 हे0 भूमियां खाता संख्या 95 पर स्थित है। तथा आराजी संख्या 801 व 803 भूमि पर विपक्षीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे व अतिक्रमण को रोका जावें तथा उक्त आराजियात से विपक्षीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावती मूलवाद के साथ संग्रह की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.23 17:03:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: